रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072022-237337
CG-DL-E-18072022-237337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3056]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944
No. 3056]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

का.आ. 3214(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1219(अ) दिनांक 15 मार्च, 2021 द्वारा अंतरिक्ष यान उपकरण के परिवहन के लिए कर्नाटक राज्य में ट्रेलर के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में:-

(1) बिंदु (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"(ii) यू. आर. राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी), अंतरिक्ष विभाग, विमानपुरा, बैंगलोर यह सुनिश्चित करेगा कि वास्तविक अंतरिक्ष यान की आवाजाही के एक सप्ताह से पहले उनके द्वारा मार्ग सर्वेक्षण किया गया है। मार्ग सर्वेक्षण की पुष्टि के बाद, काफिले के साथ एस्कॉर्ट्स सहित काफिले की सुचारू आवाजाही के लिए संबंधित राज्य के अधिकारियों से अनुमोदन/मंजूरी ली जाएगी। लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकरणों/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विभिन्न सड़कों पर आयाम और वजन प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा और सड़कों पर वाहनों को लाने से पहले संबंधित राज्य नागरिक प्राधिकरणों से पूर्व अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त की जाएगी। सड़क पर अंतरिक्ष यान की आवाजाही के दौरान कोई भी बाधा के समय, यूआरएससी संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेगी। ”

(2) बिंदु (x) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"(x) सड़क पर चलने के लिए समायोजन की अधिकतम गति 35 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

(3) बिंदु (xvi) से (xx) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:-

"(xvi) केवल यू. आर. राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी), विमानपुरा, बैंगलोर द्वारा ही इन वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी।

(xvii) यू. आर. राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी), विमानपुरा, बैंगलोर को केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के संबंध में सभी अधिसूचित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

(xviii) यू. आर. राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी), विमानपुरा, बैंगलोर को सीएमवीआर, 1989 के संदर्भ में तकनीकी आवश्यकता के अनुसार पूरी तरह से ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन का परीक्षण करना और अर्हता प्राप्त करना चाहिए। यूआरएससी को चाहिए कि वह ट्रैक्टर ट्रेलर ऑपरेशन लदा हुआ/ बिना लदा हुआ, को मानक संचालन के अनुसार प्रशिक्षित मानव शक्ति की सख्त निगरानी में ले जाए और साथ ही उपग्रहों की रणनीतिक आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधिवत अनुरक्षण किया गया।

(xix) इस कंसाइनमेंट के परिवहन का विशिष्ट मार्ग बेंगलुरु से भारत में स्थित सभी इसरो केंद्रों तक और इसके विपरीत, सड़क मार्ग से किया जाएगा। "

[फा. सं. आरटी-11042/07/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th July, 2022

S.O. 3214(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 the Central Government vide Gazette notification No. S.O. 1219(E) dated, 15th March, 2021 had accorded approval for the registration of trailer in the State of Karnataka to carry out the transportation of spacecraft equipment. In para 2, of the said Notification:-

(1) for the point (ii), following shall be substituted:-

"(ii) U. R. Rao Satellite Centre (URSC), Department of Space, Vimanapura, Bangalore shall ensure that the route survey have been carried out by them before one week of the actual spacecraft movement. After confirmation of route survey, approval/clearance from the respective state authorities for the smooth movement of convoy including escorts with convoy shall be taken. Dimensions and weight restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India shall be observed and prior approval/clearance from the respective state civic authorities shall be obtained, before the vehicles are put on the roads. Any hurdles during spacecraft movement on road, URSC shall follow the rules as prescribed by the respective state authorities."

(2) for the point (x), following shall be substituted:-

"(x) The maximum speed of the combination for movement on the road shall not exceed 35 kms/hour."

(3) for the points (xvi) to (xx), following shall be substituted:-

"(xvi) The permission shall be valid for use of these vehicles by U. R. Rao Satellite Centre (URSC), Department of Space, Vimanapura, Bangalore only.

(xvii) U. R. Rao Satellite Centre (URSC), Department of Space, Vimanapura, Bangalore shall ensure compliance with all notified provisions in respect of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(xviii) U. R. Rao Satellite Centre (URSC), Department of Space, Vimanapura, Bangalore shall test and qualify the tractor trailer combination completely as per technical requirement with reference to the CMVR, 1989. URSC shall submit that tractor trailer operation laden/un-laden shall be carried out under strict supervision of the trained manpower according to standard operating procedure as well as duly escorted to ensure safety, considering strategic movement of satellites.

(xix)The specific route for transportation of ISRO Consignments shall be from Bengaluru to all ISRO Centres located in India and vice versa by road."

[F. No. RT-11042/07/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM